

6.11.2019

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी गिरधारीलाल पुत्र किशनाराम की ओर से अधिवक्ता श्री पुरखाराम महिया ने पेश किया। जो सरिश्ते से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर ही। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मेरे सभी दस्तावेजात में मेरा नाम गिरधारीलाल पुत्र किशनाराम अंकित है जबकि वाके रोही कुचौर आथूणी के नया खाता सं. 57 पुराना 57 के खेत खसरा नम्बर 1812/948 रकबा 4.94 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम गिरधारीराम अंकित है। जिसे दुरुस्त फरमाया जावे। पैरोकार राज ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं हो रहा है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस के कथानो पर मनन किया, जिससे पाया गया कि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना न्यायहित में सही है। अतः नाम शुद्ध किये जाने के हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत आदेश दिये जाते है कि वाके रोही कुचौर आथूणी के नया खाता सं. 57 पुराना 57 के खेत खसरा नम्बर 1812/948 रकबा 4.94 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गिरधारीराम के स्थान पर गिरधारीलाल दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार नोखा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फौसल सुमार होकर बाद तरतीक तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। बसरे इजलाश सुनाया गया।

7/5/19
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नोखा
नोखा (बीकानेर)

